

RA 05/2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूना जिला बीकानेर

क्रमांक : एसडीओ/राजस्व/वृ.क./18/ 91 दिनांक: 18/11/18

### आदेश

प्रार्थी श्री हुकमसिंह पुत्र जबसिंह जाति राजपूत सा. 4 आरएम तहसील पूना के आवेदन पर पटवारी हल्का, मू.अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार पूना की रिपोर्ट क्रमांक 4008 दिनांक 20.12.17 के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 4 आरएम तहसील पूना की आधार जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शूद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम/चक	खाला	संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशूद्ध प्रविष्टि)	आदेश शूद्ध प्रविष्टि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है।
1.	4 आरएम	24		राह कवर पत्ति जबसिंह, हुकमसिंह कुमसिंह पि. जबसिंह कौम राजपूत सा. देह खालेदार	राह कवर पत्ति जबसिंह, हुकमसिंह पि. जबसिंह कौम राजपूत सा. देह खालेदार

नोट - शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।



क्रमांक : एसडीओ/राजस्व/वृ.क./18/

प्रतिदिपि -

1. तहसीलदार, पूना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावै।
2. श्री हुकमसिंह पुत्र जबसिंह जाति राजपूत सा. 4 आरएम तहसील पूना।
3. रक्षित पत्रावली।

पूना  
उपखण्ड अधिकारी,

(राजेश कुमार नायक)  
उपखण्ड अधिकारी  
पूना (बीकानेर)

दिनांक: